

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

S.B. Civil First Appeal No.626/2011

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री नीरज के तिवाडी ।

:: आदेश ::

06.8.2018

कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा पी एफ नोटिस पेश नहीं किया गया है ।

अपीलार्थी के अधिवक्ता जिन प्रत्यर्थागण की तामील नहीं हुई है, उनके क्रम में एक सप्ताह में पी एफ नोटिस पेश करे, जो पेश किये जाने पर आगामी चार सप्ताह में वापसी योग्य जारी किये जावे ।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति